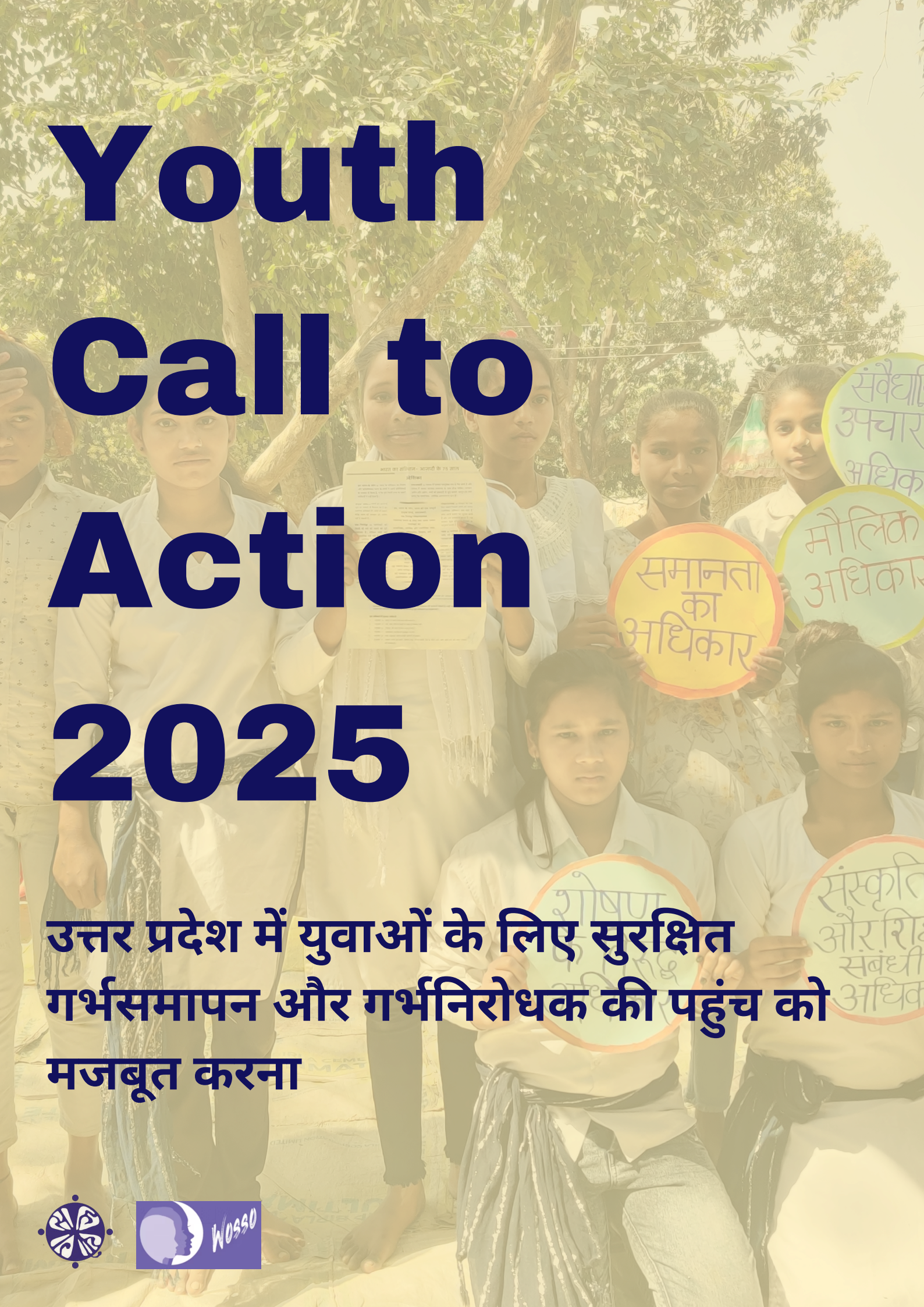

Youth Call to Action 2025

उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए सुरक्षित गर्भसमापन और गर्भनिरोधक की पहुंच को मजबूत करना

WOSSO

सहयोग के बारे में

सहयोग एक गैर-लाभकारी संगठन है जिसका गठन सन 1992 में हुआ था। सहयोग महिलाओं और युवाओं के प्रजनन स्रवास्थ्य में बेहतरी करने और जेंडर समानता को बढ़ावा देने के सपने को पूरा के लिए प्रतिबद्ध है। हम समुदायों के साथ मिलकर इन मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने और महत्वपूर्ण यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को सुदृढ़ करने का कार्य करते हैं। हम स्थानीय सरकार और स्वास्थ्यकर्मियों के साथ मिलकर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सपोर्ट और मजबूत बनाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करते हैं।

तरंग के बारे में

तरंग फोरम एक जमीनी स्तर का समूह है जिसमें उत्तर प्रदेश के पाँच जिलों– लखनऊ, बाराबंकी, बांदा, मिर्जापुर और हमीरपुर – में 13 से 25 वर्ष की आयु की 5000 किशोरियाँ और युवा महिलाएँ शामिल हैं। लखनऊ में, तरंग समूह 14 झुग्गी बस्तियों में फैली 380 किशोरियों और युवा महिलाओं का समावेश करता है।

स्थिति विश्लेषण

उत्तर प्रदेश में **16 से 22 वर्ष की आयु के 46% युवाओं की गर्भनिरोधक साधनों की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। लगभग 85% अविवाहित लड़कियों को आधुनिक गर्भनिरोधक तरीकों की जानकारी नहीं है, जबकि केवल 10% किशोरियों को गर्भनिरोध के वैकल्पिक तरीकों, जैसे कि ओरल पिल्स, के बारे में जानकारी थी।** उत्तर प्रदेश में किशोर जन्म दर (ABR) अभी भी अधिक बनी हुई है, जो यह दर्शाती है कि यौन और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों से जुड़ी सटीक जानकारी तक पहुंच अपर्याप्त है।

हालांकि भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 2021 के तहत गर्भसमापन 24 सप्ताह तक कानूनी रूप से मान्य है, फिर भी गर्भसमापन सेवाओं तक पहुंच बहुत सीमित है, विशेष रूप से अविवाहित महिलाओं और उन लड़कियों के लिए जो जाति, वर्ग, धर्म और शिक्षा के आधार पर हाशिए पर हैं। **उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति पंजीकृत गर्भसमापन क्लीनिकों की संख्या सबसे कम है और 61% गर्भसमापन के सुविधाएं शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं। राज्य में केवल 31% स्वास्थ्य सुविधाएं ही प्रसवोत्तर गर्भसमापन देखभाल (Post Abortion Care) प्रदान करती हैं, जिनमें से अधिकांश उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं, जैसे कि अस्पतालों (66%), में उपलब्ध हैं, जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में यह सुविधा केवल 24% है।**

इसके अतिरिक्त, अधिकांश स्वास्थ्य सुविधाओं में गर्भपात सेवाएँ विवाहित महिलाओं को ही दी जाती हैं। विवाह से बाहर यौन संबंधों से जुड़े सामाजिक कलंक के कारण अविवाहित महिलाओं और लड़कियों को सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक पहुंच में गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ता है। **81% युवा महिलाओं को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 2021 के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जो सुरक्षित और कानूनी गर्भसमापन तक पहुंच की गारंटी देता है।**

लखनऊ के निम्न-आय वर्ग के समुदायों से प्राप्त जानकारी बताते हैं कि कई युवा महिलाएँ सुरक्षित गर्भसमापन सेवाओं तक पहुंच न मिलने के कारण असुरक्षित तरीकों से गर्भपात करवा रही हैं। अक्सर उन्हें अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं या पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा गर्भपात की सेवाएँ देने से मना कर दिया जाता है, और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच लागत अधिक होने के कारण संभव नहीं होती। इसके अलावा, शादीशुदा किशोरियों तक उनके पहले बच्चे के जन्म से पहले अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की पहुँच बहुत कम होती है।

युवाओं की मांगे और सुझाव

लखनऊ के तरंग फोरम ने सहयोग के मार्गदर्शन में यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य पर जागरूकता बढ़ाने के लिए एकजुट होकर कार्य किया।
युवा नेताओं ने स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में आने वाली बाधाओं पर विचार-विमर्श किया और युवा महिलाओं और लड़कियों की आवश्यकताओं एवं दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 4 महत्वपूर्ण सिफारिशें पेश कीं।

1

एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं को युवाओं के साथ गैर-आलोचनात्मक और युवा-हितैषी तरीके से गर्भनिरोधक और गर्भपात से जुड़ी जानकारी प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए।

2

आरकेएसके (राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम) में गर्भनिरोधक और गर्भसमापन देखभाल को एकीकृत करके और पीयर एजुकेटर्स नेटवर्क का उपयोग करके इन सेवाओं तक पहुंच को मजबूत किया जाए।

3

युवाओं तक पहुंच बढ़ाने और एसआरएचआर (यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार) से जुड़ी जानकारी को युवा-हितैषी बनाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के साथ सहयोग और साझेदारी की जाए।

4

यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी सामाजिक मान्यताओं को संबोधित करने के लिए हिंदी में आई.ई.सी सामग्री तैयार की जाए और जन जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक प्रचार सामग्री विकसित की जाए।